फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

अशोक कुमार सैनी बनाम महमूद खाँ वगैरा

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट मु० नं० 130 सन –2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13–3–23	दावा वकील वादी श्री विनोद कुमार शर्मा विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28–03–2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
28/3/23	पत्रावली पेश हुई। नोटिस तामील रजिस्टर्ड डाकघर रसीद मय ट्रेक रिपोर्ट पेश की। वकील वादी उप०, वकील वादी उप०. प्रतिवादीगण अनुपस्थित, बार-बार आवाज लगाई प्रतिवादीगण अनुपस्थित, प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए जवाब बन्द किया गया पत्रावली वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12-4-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
4/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेशी दस्तावेजात पत्रावली दिनांक 2-5-23 को पेश होवे। साक्ष्य वास्ते बहस उप० रहे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

2-5-23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 21-7-23 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

21.7.23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 20.9.23
को पेश हो।
रीडर

20.9.23
वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक 30-11-23 को पेश हो।

30-11-23
वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक 4-1-24 को पेश हो।

4-1-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 24-1-24
को पेश हो।
रीडर

24-1-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 1-2-24
को पेश हो।
रीडर

1.2.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 8.2.24
को पेश हो।
रीडर

8-2-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 13-2-24
को पेश हो।
रीडर

13.2.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 29.2.24
को पेश हो।
रीडर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

म मुकदमा ....नं0 .... सन् ....

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.2.24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.......... दिनांक 29-4-24 को पेश हो।	
	29.4.24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.......... दिनांक 20-5-24 को पेश हो।	
·24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है बहस सुनी गई प्रारम्भिक निर्णयार्थ तहसीलदार अलवर से फैक्चुअल रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दिनांक 29-5-24 को पेश होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	29/05/24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक 03/06/24 को पेश हो।	
	3.6.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 1.7.24 को पेश हो। रीडर	
	1.7.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 20.8.24 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में
	20-8-24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 19-11-24 को पेश हो। 19-11-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 26-11-24 को पेश हो। 26-11-24 पत्रावली पेश हुई कुर्बिनात रिपोर्ट जारी बदल चुकी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 27-11-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
27-11-24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पुस्तक में लिखवाया जाकर मय मूल पत्रावली के सुनाया गया निर्णय और पुस्तक तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर लेकर शामिल हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या	तारीख दायर	अन्तिम डिक्री
1/30	13.03.2023	27–11–2024

बउनवान

1:–अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली अधिकृत अधिकारी त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 290 नया बास, अलवर जिला अलवर निवासी मौहल्ला नया बास भीणा धर्मशाला के पीछे, अलवर

वादी

बनाम

1–महमूद खॉ पुत्र बम्बल खॉ, जाति मेव,
2–महमूद गजनबी पुत्र बम्बल जाति मेव,
3–याकूब पुत्र बम्बल जाति मेव,
4–रिसाल खॉ पुत्र बम्बल जाति मेव,
5–सरियम पत्नि फारूख जाति मेव,
6–साहिल पुत्री फारूख खॉ जाति मेव,
7–साहिला पुत्र फारूख खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर
8– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अन्तिम पर्चा डिक्री

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुरेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट खाता स0 नया 229 हाल आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर की अन्तिम पर्चा डिक्री निम्न प्रकार की जाती है:–

क्र0स0	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/ दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	मेर्सस त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड जर्ये अशोक कुमार सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास अलवर खातेदार	1594 मी0 रकबा 0.38 है0	चाही सोयम	पूर्व	केसरिया
02	1:–महमूद खॉ पुत्र बम्बल खॉ, हिस्सा 2/7 2:–महमूद गजनबी पुत्र बम्बल हिस्सा 2/7	1594 मी0 रकबा 0.38 है.	चाही सोयम	तर्फ पश्चिम	लेमन कलर (नियोन कलर)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

	3–याकूब पुत्र बम्बल हिस्सा 2/7 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा नंगला रायसिंस 4–रिसाल खॉ पुत्र बम्बल हिस्सा 2/14 5–सरियम पत्नि फारूख हिस्सा 2/042 6–साहिल पुत्र फारूख खॉ हिस्सा 2/042 7–साहिला पुत्री फारूख खॉ 2/42 खातेदार निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर				

अंतिम डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 –11–24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि क्र०सं० 3 पर दर्ज याकूब पुत्र बम्बल का हिस्सा 2/7 के स्थान पर 2/14 पढ़ा जावे शेष अंकन यथावत रहेंगे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या	तारीख दायर	अन्तिम निर्णय
1/30	13.03.2023	27–11–2024

बउनवान

1:–अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली अधिकृत अधिकारी त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 290 नया बास, अलवर जिला अलवर निवासी मौहल्ला नया बास भीणा धर्मशाला के पीछे, अलवर

वादी

बनाम

1–महमूद खॉ पुत्र बम्बल खॉ, जाति मेव,
2–महमूद गजनबी पुत्र बम्बल जाति मेव,
3–याकूब पुत्र बम्बल जाति मेव,
4–रिसाल खॉ पुत्र बम्बल जाति मेव,
5–सरियम पत्नि फारूख जाति मेव,
6–साहिल पुत्री फारूख खॉ जाति मेव,
7–साहिला पुत्र फारूख खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर
8– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वाद वादी इस प्रकार अन्तिम निर्णय किया जाता है कि वादी ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने खाता संख्या नया 229 हाल आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित है जो आराजी वाद पत्र मे विवादित है विवादित आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज० मे मिन वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/14, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/42 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/42 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/42 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे अंकित है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में अंकित है इस प्रकार मिन वादी विवादित आराजी मे रिकोर्डड खातेदार है। मिन वादी ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया था जिसका स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1349 दिनांक 28.06.2022 को स्वीकृत किया जा चुका है एवं राजस्व रिकोर्ड में भी मिन वादी के नाम का इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है तथा मिन वादी का विवादित आराजी मे तरफ

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

पश्चिम की ओर 1/2 हिस्सा है जिस पर मिन वादी काबिज चला आ रहा है एवं अपने हिस्से का बिना किसी रोक टोक के उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ला० 7 द्वारा आपसी सहमति से अपनी सहुलियत के अनुसार विवादित आराजी का मौखिक रूप से बंटवारा किया गया जिसमें मिन वादी का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 हेक्टेयर में तरफ पश्चिम का हिस्सा आया। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को बाखूबी है एवं मिन वादी व प्रतिवादीगण जो अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा मिन वादी के हिस्से से प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता व लेना देना नही है

दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल प्रतिवादीगणो ने बावजूद रजिस्र्टड नोटिस सूचना उपरान्त भी उपस्थित नही हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये वाद वादी एक तरफा सुनवाई कर दिनॅाक 20–05–2024 को प्रारम्भिक निर्णय किया गया कि खाता संख्या नया 229 हाल आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रर्दशित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट कुर्रेजात खाता संख्या नया 229 हाल आराजी खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.76 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर के क्रम मे प्रस्तुत कि गई।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही होना प्रतीत होती है इस प्रकार मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अन्तिम निर्णय किया जाना अन्तिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुर्रेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा।

क्र0स0	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	मेर्सस त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड जर्ये अशोक कुमार सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास अलवर खातेदार	1594 मी0 रकबा 0.38 है0	चाही सोयम	पूर्व	केसरिया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

02	1:–महमूद खॉं पुत्र बम्बल खॉं, हिस्सा 2/7 2:–महमूद गजनबी पुत्र बम्बल हिस्सा 2/7 3–याकूब पुत्र बम्बल हिस्सा 2/7 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा नंगला रायसिंस 4–रिसाल खॉं पुत्र बम्बल हिस्सा 2/14 5–सरियम पत्नि फारूख हिस्सा 2/042 6–साहिल पुत्र फारूख खॉं हिस्सा 2/042 7–साहिला पुत्री फारूख खॉं 2/42 खातेदार निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर	1594 मी0 रकबा 0.38 है.	चाही सोयम	तर्फ पश्चिम	लेमन कलर (नियोन कलर)

अन्तिम निर्णय जारी हो तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 011.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि क्र०सं० 3 पर दर्ज याकूब पुत्र बम्बल का हिस्सा 2/7 के स्थान पर 2/14 पढ़ा जावे शेष अंकन यथावत रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

3\. ग्राम- सिरमोली
तहसील - अलवर
जिला - अलवर
पैमाना - 1:4000 वर्ग मी०

ट्रेसिंग नक्शा

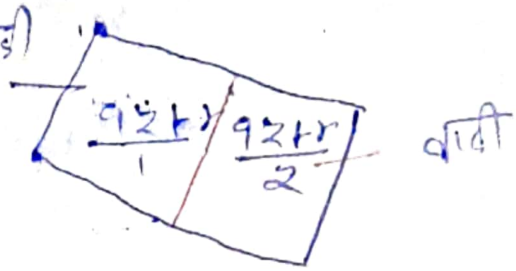

P35 समान नं०

समनार्थ हेतु निर्गुन्त जारी

प० पिरमोली

मुकदमा नं० 1/30 निर्णय दि० 27-11-24
अयोग्य - अशोक V/S महमूद चौधरी
कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
अलवर